कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री ओमप्रकाश भार्गव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरूषोतमपुरा, पावटा जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरपालिया, बाडमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री भार्गव द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3898/2019 ओमप्रकमाश भार्गव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3898/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश भार्गव को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष रिक्त पद दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक नवीन आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने एवं अपीलार्थी के सम्बन्ध में नवीन आदेश जारी होने तक माननीय अधिकरण द्वारा उन्हें कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनके राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त होने, विद्यालय उन्नयन हेतु किये गए कार्यों एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाईयों के मद्देनजर अपना पदस्थापन सीकर जिले में राउमावि रायपुर जागीर, नीम का थाना या राउमावि दीपावास, नीम का थाना अथवा झुन्झुनूं जिले में राउमावि बाघोली, उदयपुरवाटी या राउमावि मेहाडा जादूवास, खेतडी किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी श्री भार्गव के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक आवश्यकता में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 1993 एस. सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब व कहां पदस्थापित करे।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश भार्गव का अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

20/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/ओमप्रकाश/अपील/3898/2019 दिनांक २०.१२.१९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/जोधपुर संभाग, जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/बाडमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।.
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)